पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 154/2019

1. महेन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
2. नत्थूराम पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. भूपसिंह पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:— **प्रतिवादी**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री दलीपसिंह झोरड एवं वकील प्रतिवादी श्री प्रेमप्रकाश झोरड की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 229/216 के खसरा सं0 524/2 की 0.101है0, खसरा सं0 525 की 2.302है0,खसरा सं0 671/7 की 0.253है0, खसरा सं0 672 की 3.389है0 कुल 6.045है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 महेन्द्र, वादीगण सं0 2 नत्थूराम, वादीगण सं0 3 सुरेन्द्रसिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.7.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 154/2019

1. महेन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
2. नत्थूराम पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. भूपसिंह पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:– प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री दलीपसिंह झोरड : वादीगण

वकील श्री प्रेमप्रकाश झोरड: प्रतिवादी

निर्णय   दिनांक : 13.07.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 229/216 के खसरा सं0 524/2 की 0.101है0, खसरा सं0 525 की 2.302है0,खसरा सं0 671/7 की 0.253है0, खसरा सं0 672 की 3.389है0 कुल 6.045है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादीगण के दादा श्योचंद की खातेदारी हुआ करती थी। श्योचंद के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीग को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

साक्ष्य 6321 सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी घेउ संवत 2071–74 खाता सं0 229/216 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही घेउ खाता सं0 225/211 संवत 2071–74 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही घेउ संवत 2043 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत घेउ प्रदर्श 4 करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही घेउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी घेउ संवत 2071–74 खाता सं0 229/216 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही घेउ खाता सं0 225/211 संवत 2071–74 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही घेउ संवत 2043 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत घेउ प्रदर्श 4 करवाये। जिसमें प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण के अनुसार भूपसिंह के तीन पुत्र महेन्द्र, नत्थूराम व सुरेन्द्रसिंह तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 3 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । वादभूमि के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से रोही घेउ के खसरा सं0 709 की 12.646है खातेदारी भूमि दर्ज है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेउ के खाता सं0 229/216 के खसरा सं0 524/2 की 0.101है0, खसरा सं0 525 की 2.302है0,खसरा सं0 671/7 की 0.253है0, खसरा सं0 672 की 3.389है0 कुल 6.045है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं0 1 महेन्द्र, वादीगण सं0 2 नत्थूराम, वादीगण सं0 3 सुरेन्द्रसिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादीगण सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.7.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner